न्यायालय उपखण्डअधिकारी, चूरू
पीठासीनअधिकारीश्रीबिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बरमुकदमा	किस्ममुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
63 / 2020	दावा88RTA	29.07.2020	17.02.2020

नाहरसिंह पुत्र स्व. सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू

—वादी—

1.नारायणसिंह पुत्र स्व. सबलसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
2.पृथ्वीसिंह पुत्र स्व. सबलसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू हाल घण्टेल सदन, चीफइन्जिनियरिंग, मोतीडूंगरी, गणेशमन्दिर के पास, जयपुर
3.प्रतापसिंह पुत्र स्व. सबलसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
4.सुप्यार कंवर पत्नी स्व. सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
5.पेपू कंवर पुत्री स्व. सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
6.राजकंवर पुत्री स्व. सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
7.विनोद कंवर पुत्री स्व. सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील व जिला चूरू
8.श्रीदेवी पुत्री स्व. करणीसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
9.आकाशपुत्र स्व. करणीसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
10. पुनमकंवर पुत्री स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
11. सीमाकंवर पत्नी स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
12. जीनकुराम पुत्र सेवादास जाति स्वामी निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावाअन्तर्गत धारा88आर.टी.ए.

उपस्थित— 1. अधिवक्ता श्री बजरंग लाल शर्मा वादी
2. पैरोकार राज

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि

1. यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पूर्वज स्व. सबलसिंह गांव घण्टेल तहसील चूरू के जागीरदार थे व उनके जिवनकाल से ही अर्थात जागीर के समय से ही कृषिभूमि खसरा संख्या 182 मीन तादादी 92 बीघा 19 बिश्वा जिसके वर्तमान खसरानं. 585 तादादी 73 बिघ वा कृषिभूमि खसरानं. 174 मीनतादादी 17 बिघा 8 बिश्व जिसके वर्तमान खसरानं. 572 तादादी 4.4010 हैक्टेयर वाक रोही गांव घण्टेल मगनसिंह के साथ रहकर उनके जिवनकाल से ही सम्वत् 2012 के पहले से लगातार साधिकार काश्त करते आ रहे हैं।जागीर समाप्त होन के समय भी वादी व वादी के पिता स्व. सांवतसिंह इन कृषि भूमियो को बतौर काश्तकार काश्त करते आ रहे हैं वा तब से ही लगातार वादी इस कृषि भूमि को अपने पिता के समय से अब तक बिना बाधा के साधिकार काश्त करते आ रहे हैं वा कानूनन वादी इस कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है।

2. यह कि कृषि भूमि खसरानं. 585 वादी [illegible] सांवतसिंह व स्व. सांवतसिंह के भाई भादरसिंह दोनों संयुक्त रूप [illegible]मीनकुलरकबा 92 बिघा 19 विश्वा था जिसमें से वादी व वादी के पिता स्व. [illegible]सिंह कुल खेत में से [illegible] तरफ की 36 बीघा 10 बिश्वा कृषि भूमि काश्त करते थे जो आ[illegible] भी वादी के कब्जा काश्[illegible] आ रहा हैं वा खसरा नं. 585 की पश्चिमी तरफ की शेष कृषिभूमि स्व. भादरसिंह के वारिसान काश्त करते हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

इसी प्रकार खसरा नं. 572 तादादी 17 बिघा 8 बिश्वा वाके रोही ग्राम घण्टेल तहसील चूरू की कृषि भूमि भी वादी अपने पिता स्व. सांवतसिंह के जिवनकाल से ही अर्थात सम्वत् 2012 के पहले से अर्थात जागीर समाप्त होने के पहले से काश्त करते आ रहे हैं। इस प्रकार खसरा संख्या 585 में पूर्वी तरफ की 36 बीघा 10 बिश्वा वा खसरानं. 572 तादादी 17 बीघा 8 बिश्वा वाके रोही ग्राम घण्टेल की कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हैं ।

3. यह कि वादी व उनके पिता स्व. सांवतसिंह ने उपर वर्णित अनुसार इस कृषि भूमि को खाद आदि डालकर उपजाउ बनाया है।वादी इस कृषि भूमि खसरा नं. 585 में से पूर्वी तरफ की 36 विधा 10 विश्वा वा खसरानं. 174 मीन तादादी 17 विघा जिसके वर्तमान खसरा नं. 572 तादादी 4.4010 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घण्टेल तहसील चूरू को सम्वत् 2012 के पहले से बतौर काश्तकार काश्त करता आ रहा है।काश्तकार अधिनियम लागू होने के पहले से अर्थात जागीर के समय से व जागीर समाप्त होने के समय भी वादी व उसका पिता स्व. सांवतसिंह इस कृषि भूमि को काश्त करता आ रहा था वा लगान अदा करते थे इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने एवं जागीर समाप्त होने पर वादी के पिता इस कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हो चूके थे ।

4. यह कि खसरा नं. 958/955 तादादी 5.5897 वाके रोही ग्राम घण्टेल तहसील व जिला चूरू में जीनकुराम पुत्र सेवादास 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। शेष कृषिभूमि 1/2 हिस्सा स्व. सांवतसिंह के वारिस प्रतिवादीगण सं. 3 ता 11 वा वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। यह वादी के पिता स्व. सांवतसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड हिस्सा कृषि भूमि पहले जमाबन्दी में दर्ज थी जिनका स्वर्गवास होने के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज हैं । सांवतसिंह के तीनपुत्र व चार पुत्रियां है स्व. सांवतसिंह के पुत्र करणीसिंह का स्वर्गवास हो चूका है जो प्रतिवादी सं. 9 का पिता हैं तथा स्व. सांवतसिंह के पुत्र विजयसिंह का भी स्वर्गवास हो चूका हैं जो प्रतिवादीनी सं. 10 के पिता वा प्रतिवादीनी सं. 11 के पतिथे । प्रतिवादी सं. 4 वादी की माताजी हैं प्रतिवादीनी सं. 5 से 8 वादी की बहिनें हैं।पारिवारिक आपसी मौखिक बंटवारा में यह कृषिभूमि स्व. विजयसिंह के हिस्सा में आई हुई थी जिनके जिवनकाल से प्रतिवादीनी संख्या 10 ही इस कृषि भूमि को काश्त करती हैं। स्व. विजयसिंह की पत्नी प्रतिवादी संख्या 11 सीमाकंवर ने अपनी दूसरी शादी कर ली हैं जो गांव छोड़कर कहीं अपने पति के साथ रहती हैं।प्रतिवादीनी सं. 5 से 8 का विवाह वादी के पिता स्व. सांवतसिंह ने अपने जिवनकाल में ही कर दिया था हैं जो शादी के बाद से लेकर आज तक अपने-अपने ससूराल में रह रही हैं वा वादगत कृषि भूमि को काश्त नहीं करता हैं वा पारिवारिक रितिरिवाज के अनुसार वादी व वादी के पिता स्व. सांवतसिंह ने प्रतिवादीनी सं. 5 से 8 के हिस्से में आई कृषिभूमि से अधिक किमत का खर्चा उनके विवाह भात, छुछक आदि में खर्च कर दिया है इसलिए प्रतिवादीनी सं. 5 से 8 का इस कृषि भूमि पर किसी प्रकार कब्जा काश्त व अधिकार नहीं रहा है तथा प्रतिवादीनी सं. 11 जो स्व. विजयसिंह की पत्नी थी वह पुनः शादी करके कहीं अन्यत्र चली गई इस कारण इस कृषि भूमि पर उसका भी कोई कब्जा व काश्त वा अधिकार नहीं रहा इस प्रकार कृषिभूमि खसरानं. 958/955 की 1/2 हिस्सा जो स्व. सांवतसिंह के वारिसान के नाम दरज हैं इस कृषिभूमि की एकमात्र खातेदार प्रतिवादीनी सं. 10 पुनमकंवरहैं ।

5. यह कि वादी इन कृषि भूमियों के वर्तमान [illegible] 73 बीघा वाके रोही ग्राम घण्टेल की पूर्वीतरफ की 36 बी[illegible] 17 बीघा 8 बिश्वा वाके रोही ग्राम घण्टेल तहसील व जिला चूरू का खातेदार काश्तकार हैं जिसे वादी बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा हैं। वादी कानूनन इन कृ[illegible]भूमियों का खातेदार काश्तकार हैं इसलिए वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु बिनाय दावा प्राप्त हैं।मुखास्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दिनांक 18.02.2020 से प्राप्त है जबकि वादी को राजस्व रिकार्ड दुरस्त करने से इन्कार कर दिया है।

6. यह कि दावा में वर्णित कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं । प्रतिवादी संख्या 12 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर हैं जिसके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं लेकिन लैण्डहोल्डर होने के कारण राजस्थान सरकार को दावा में तकमीलन पक्षकार बनाया गया हैं।

7. यहकि कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं इसलिए दावा सुनवाई हेतु न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं व दावा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश हैं ।

अतः दावा पेश कर निवेदन हैं कि वादी का दावा निचे लिखे अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खिलाफ डिकी फरमाया जावें :–

(क) घोषित किया जावे कि दावे में वर्णित कृषिभूमि खसरानं 585 तादादी 18.4637 हैक्टेयर वाके रोहीग्राम घण्टेल तहसील व जिला चूरू के कुल खेत में से पूर्वीतरफ की 9.2319 हैक्टेयर व खसरानं. 572 तादादी 4.4010 हैक्टेयर वाके रोही गांव घण्टेल तहसील व जिला चूरू का वादी खातेदार काश्तकार हैं व वादी का नाम बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज फरमाया जावें

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो वह भी दिलाया जावे ।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 01 से 12 परविधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से पैरोकार राज ने जवाब प्रस्तुत किया ।जो मदवार निम्नानुसार है।

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के बिन्दु संख्या 01 मेंउल्लेखित खसरा, रकबा राजस्व अभिलेख से समबंधित है, शेष मद को साबित करने का अधिकार वादी पर है।
2. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में बिन्दु सं. 2 को साबित करने का भार वादी पर है।
3. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में बिन्दु संख्या 3 को साबित करने का भार वादी पर है।
4. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में बिन्दु सं. 4 में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारों के नामों की हद तक स्वीकार है, शेष को साबित करने का भार वादी पर है।
5. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को बिन्दु सं. 5 में उल्लेखित खसरों में वादी द्वारा संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी की प्रति में वादी या वादी के पिता का नाम बतौर खातेदार अंकित नहीं होने से अस्वीकार है।
6. वादी द्वारा प्रस्तुत वादी के बिन्दु सं. 6 में प्रतिवादी संख्या 13 को लैण्डहोल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है, वादी द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।
7. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का बिन्दु सं. 7 कानूनी है।

वाद की उपमद क व ख में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, परन्तु चाहे गये अनुतोष के खसरों में राजस्व अभिलेख में वादी या वादी के पिता का नाम बतौर खातेदार अंकित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. की पेश निवेदन किया कि कि प्रतिवादी संख्या 3 प्रतापसिंह के पिताजी का नाम सबलसिंह जबकि सहवन टाईप कि गलतति से प्रतापसिंह के पिता का नाम सांवतसिंह टंकण हो गया जो गलत है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 8 श्रीदेवी के पिता का स्व करणीसिंह है लेकिन सहवन से श्रीदेवी के पिता का

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय चूरू (राज.)

AG
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

नाम सांवतसिंह टाईप हो गया जो गलत है। प्रतिवादी संख्या 3 प्रतापसिंह पुत्र सबलसिंह पढा जावे व प्रतिवादावी संख्या 08 का श्रीदेवी पुत्री स्व0 करणीसिंह पढा जावे। जिस पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार संशोधन किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 सुप्यारकंवर, 6 राजकंवर एवं प्रतिवादी संख्या 7 विनोद कंवर की ओर से अंकित किया गया कि इस दावे हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है। तथा खसरा नम्बर 585 तादादी 18.4637 हैक्टेयर व ख.नं. 572 तादादी 4.4010 हैक्टैयर हमारे दादाजी स्व. मगनसिंह के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है। ख. नं. सांवतसिंह का हिस्सा 585 के पूर्वी हिस्से पर था। एवं खसरा नम्बर 585 के पश्चिम हिस्से पर कब्जा काश्त भादरसिंह का था। सांवतसिंह का हिस्सा पूर्वी हिस्से पर था। एवं खसरा नम्बर 572 सम्पूर्ण पर वादी नाहरसिंह का है। खसरा नम्बर 585 के 36.10 बीघा कृषि भूमि जो सांवतसिंह के कब्जे में थी उसमें से 18.05 बीघा भूमि सावतसिंह के पुत्र करणीसिंह के हिस्से में थी जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिसको प्रतिवादी संख्या 08 व 09 के कब्जा काश्त में है जो आज तक चली आ रही है। शेष 18.05 बीघा कृषि भूमि सांवतसिंह के कब्जे काश्त में चली आ रही थी जो वर्तमान में नाहरसिंह के कब्जे काश्त में है। हमारी एक पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 958/953 तादादी 5.5897 हैक्टेयर वाके रोही घन्टेल का 1/2 हिस्सा सावतसिंह के नाम से दर्ज थी। सांवतसिंह के 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि विजयसिंह के हिस्से में थी जिसका स्वर्गवास हो गया। विजयसिंह के स्वर्गवास के बाद वीजयसिंह की पत्नी सीमाकंवर व विजयसिंह की पुत्री पुनमकंवर उम्र 02 वर्ष जो प्रतिवादी संख्या 10 व 11 है। सीमा कंवर ने दूशरी शादी करके अपनी पुत्री को साथ ले गई जो आज तक गांव घन्टेल में नही आई। वादी नाहरसिंह के कब्जे काश्त की कृषि भूमि वादी के नाम से जमाबंवदी में दर्ज कर दी जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं होगी। यह कि उपरोक्त कृषि भूमि पर हम प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नही है। हम प्रतिवादी 6 व 7 का विवाह कर दिया है। जो हम ससुराल में हमारे ससुर व पतियों की कृषि भूमि काश्त करती है। और वहीं रहती है। उपरोक्त कृषि भूमियों से हमारा कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 वादी की माता हूं जो इस दावे में पहले से हि बयान दे चुकी हॅं कि कब्जे काश्त की कृषि भूमि पेरे पुत्र वादी नाहरसिंह के नाम से दर्ज कर दी जावे। तो इसेमें किसी को कोई अपाति नहीं होगी। अतः दावे मे हम प्रतिवादीगण सहमति देते है कि उपरोक्त कृषि भूमि में पैतृक आधार पर जो हमारा हिस्सा बनता है। वादी नाहरसिंह के नाम करके दावे को डिक्री कर दिया जावे। जिस पर हम सभी सहमत है। गावं के निवासीगण की ओर से मैजर नामा तैयार कर प्रस्तुत किया है जिस पर गांव के लगभग 20 लोगों के हस्ताक्षर है व सरपंच के हस्ताक्षर तथा मोहर है व जिसको गांव घन्टेल के जितेन्द्रसिंह की ओर से प्रमाणित प्रस्तुत किया गया है। पेपू कंवर की ओर से भी सहमति पत्र प्रस्तुत वादी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उसकी पत्नी की ओर से प्रस्तुत किया गया जिस पर पहचान कर्ता सुमन व जितेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर है।

जवाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् पत्रावली को तनकी में नियत किया जाकर तनकी कायम की गई जो निम्न प्रकार है।

तनकीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:57 IST
Reason: SelfAttested

1. आया खसरा संख्या 585 में पूर्वीतरफ की 36 [illegible] बिश्वा खसरा नम्बर 572 तादादी 17 बीघा 08 बिश्वा वाके रोही ग्रा[illegible] र काश्तकार है।

वादी

2. आया वादी के पिता इस कृषि भूमि के खातेदार का[illegible]कार थे।

वादी

3. आया वादी के पिता इस कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं थे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

4. अन्य अनुतोष
तनकी कायम की जाकर उभय पक्ष को अवगत करवाया गया व पत्रावली को साक्ष्य वादी में नियत किया गया।

वादी की ओर से सुमन,सुप्यारकंवर व महावीरसिंह ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पेश किया व अपने बयान प्रस्तुत किये
वादी की ओर से अन्य साक्ष्य नहीं पेश किये जाने के निवेदन पर प्रतिवादी के साक्ष्य नहीं पेश किये जाने के निवेदन पर साक्ष्य बंद किये गये तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चूरू से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 572 तादादी 4.4010 है. एवं खसरा संख्या 585 तादादी 18.4636 हैक्टेयर में पूर्व हिस्सा की तरफ से 4.1659 है. पर नाहरसिंह पुत्र सांवतसिंह का लगभग 35 से 40 वर्षों कब्जा चला आ रहा है एवं काश्त करते आ रहे है। इसके पूर्व नाहरसिंह के पिता सांवतसिंह पुत्र मगनसिंह का भी एक पिढी पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा बताया है। इससे पूर्व मगनसिंह पुत्र लालसिंह, लालसिंह पुत्र अजीतसिंह का कब्जा बताया है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्ता वादी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के पिता का नाम सबलसिंह पढा जाने व प्रतिवादी संख्या 08 के पिता का नाम करणीसिंह पढा जाने हेतु आदेश किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 4, 6 व 7 ने उपस्थित होकर दावा स्वीकार कर डिक्री करने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया व प्रतिवादी संख्या 5 का सहमतिपत्र वादीनी ने स्वयं प्रस्तुत किया व प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का मेजरनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

बहस में अधिवक्ता वादी ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादगत भूमि में वादी के चाहे अनुतोष के अनुसार खातेदारी की घोषणा किये जाने का निवेदन किया तथा अपनी बहस के समर्थन में उच्च न्यायालयों के दृष्टन्त आदि पेश किये

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2070–73 खसरा नम्बर 572, 585 में नारायणसिंह, प्रतापसिंह, पृथ्वीसिंह सहखातेदार दर्जहै। प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2018–2019 खसरा नम्बर 138 में नारायणसिंह, प्रतापसिंह, पिरथीसिंह खातेदार दर्ज है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2028–31 रोही ग्राम घण्टेल खसरा नम्बर 138 में नारायणसिंह प्रतापसिंह पिरथीसिंह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–6 गिरदावरी सम्वत् 2016–20 रोही ग्राम घण्टेल खसरा संख्या 182 में 98 बीघा 13 बिश्वा भूमि पर भारदसिंह, सांवतसिंह वल्द मगनसिंह सादेह ब.हि.ब. दर्ज है। प्रदर्श–7 गिरदावरी सम्वत् 2016–19 में खसरा संख्या 174 रोही ग्राम घण्टेल में सांवतसिंह व भादरसिंह पि. मगनसिंह 17 बीघा अंकित है। प्रदर्श–8 गिरदावरी सम्वत् 2017–20 रोही ग्राम घण्टेल खसरा संख्या 174 रोही ग्राम घण्टेल में भादरसिंह व सांवतसिंह पि. मंगनसिंह 17 बीघा दर्ज है। प्रदर्श–10 व प्रदर्श–11 जमाबंदी सम्वत् 2009 से 12 व 2014 से 2017 में मगनसिंह वल्द लालसिंह में कृषक के रूप [illegible] सादेह अंकित है। वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात जागीर आय 2[illegible] से [illegible] में मगनसिंह वल्द लालसिंह मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 182 से [illegible] खसरा नम्बर 174 से 574 नम्बर खसरा निर्मित हुआ है। गि[illegible] 2011, 2012–15, 2016, 2017–2020 में काश्तकार में उपकृषक के रूप में भादसिंह, [illegible]तसिंह वल्द मगनसिंह या मगनसिंह वल्द लालसिंह अंकित है। तहसीलदार चूरू की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त वादगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

भूमि पर नाहरसिंह उससे पूर्व सावंतसिंह व उससे पूर्व मगनसिंह पुत्र लालसिंह की कब्जे काश्तकारी थी। प्रतिवादी संख्या 4,6,7 सहमति पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार सुप्यार कंवर के अनुसार खसरा नं. 585 तादादी 18.4637 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 572 तादादी 4.4010 हैक्टेयर हमारे दादाजी स्व. मगनसिंह के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है खसरा नं. 585 पर कब्जा काश्त भादरसिंह व सांवतसिंह का था सांवतसिंह का हिस्सा ख. नं. 585 के पूर्वी हिस्से पर था खसरा नम्बर 572 पर सम्पूर्ण पर हमारे पति व पिता सांवतसिंह का था। वर्तमान में 572 सम्पूर्ण पर वादी नाहरसिंह का है। खसरा नम्बर 585 के 36.10 बीघा कृषि भूमि जो सांवतसिंह के कब्जे में थी उसमें से 18.05 बीघा भूमि सांवतसिंह के पुत्र करणीसिंह के हिस्से में थी जिनका स्वर्गवास हो चुका है जो प्रतिवादी संख्या 08 व 09 के कब्जा काश्त में है शेष 18.05 बीघा भूमि सांवतसिंह के कब्जे काश्त में चली आ रही थी जो वर्तमान में नाहरसिंह के कब्जे काश्त में है। हमारी एक पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 958/953 तादादी 5.5897 हैक्टेयर वाके रोही घन्टेल का 1/2 हिस्सा सावंतसिंह के नाम से दर्ज थी। सावंतसिंह के 1/2 हिस्से कि कृषि भूमि विजयसिंह के हिस्से में थी। जिसका स्वर्गवास हो गया । विजयसिंह के स्वर्गवास के बाद विजयसिंह की पत्नी सीमाकंवर व विजयसिंह की पुत्री पुनम कंवर जो प्रतिवादी संख्या 10 व 11 है। सीमाकंवर ने दूसरी शादी करके अपनी पुत्री को साथ ले गई जो आज तक गांव घण्टेल में नहीं आई। वादी नाहरसिंह के कब्जे काश्त की कृषि भूमि वादी के नाम से जमाबंदी में दर्ज कर दी जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं होगी।

उपरोक्त कृषि भूमि पर हम प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। हम प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 का विवाह कर दिया है। जो हम हमारे ससुराल में अपने पतियों व हमारे ससुर की भूमि काश्त करते हैं और वहीं पर रहती हैं।उपरोक्त कृषि भूमियों हमारा कोई सम्बन्ध और सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 04 वादी की माता हूं जो मैं पहले से ही बयान दे चुकी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मेरे पुत्र नाहरसिंह के नाम दर्ज कर दी जावे। दावा डिक्री किये जाने पर हम प्रतिवादीगण सहमत है।

ग्रामीणों की ओर से प्रस्तुत मेजर नामा के अनुसार सांवतसिंह पुत्र मगनसिंह गांव घण्टेल का निवासी था। सावंतसिंह के तीन पुत्र व तीन पुत्रियां थी सांवतसिंह की पत्नी मौजूद है। सावंतसिंह कि तीनो पुत्रियां ससुराल में निवास करती है।

पुत्रों में से करणीसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिस गांव घण्टेल में निवास करते है। सांवतसिंह का दूशरा बेटा नाहरसिंह मौजूद है जो कुछ समय से मानसिक बिमार है। जिनके वारीसान गांव में निवास करते है। सावंत सिंह का तीसरा पुत्र विजयसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके एक पुत्री व पत्नी थी। विजयसिंह की मृत्यु के तुरंत बाद विजयसिंह की पत्नी सीमाकवंर अपनी पुत्री पुनम कंवर को साथ लेकर दूशरी शादी करने के बाद गांव घण्टेल में कभी नहीं देखी गई ना कभी आती है ना ही उसकी पुत्री गांव घण्टेल में आई थी। पुनम कंवर की उम्र उस समय 2 वर्ष थी।

सहमति पत्र पेपूकंवर के अनुसार उक्त वादगत भूमि पर पेपू कंवर का कब्जा काश्त नहीं है ना ही कोई विवाद है उक्त कृषि भूमि अपने नाम करवाता हैं तो मुझे कोई आपति नहीं है।

पत्रावली व पेश दस्ता[illegible] दावा का निर्णय कायम की गई तनकियात् के आधार पर किया जाना उचित [illegible] निम्नानुसार निर्णय किया गया:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:57 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 1 में वर्णित है कि [illegible] खसरा संख्या 585 में पूर्वीतरफ की 36 बीघा 10 बिश्वा खसरा नम्बर 572 तादादी 17 बीघा [illegible] बिश्वा वाके रोही ग्राम घण्टेल की कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है।"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तनकी नं. 2 में वर्णित है कि " आया वादी के पिता इस कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार थे।

तनकी नं. 1 व 2 को साबित करने का जिम्मा वादी पर रहा है जिसके लिए वादी ने वादगत कृषि भूमि के समस्त खातेदारों एवं हितबद्ध पक्षकारों को प्रतिवादी सं. 1 से 13 बनाया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा में गिरदावरी मीलान क्षेत्रफल जमाबन्दी एवं न्यायालय द्वारा तहसीलदार महोदय से मंगवाई मौका रिपोर्ट जिस पर ग्रामीणों के हस्ताक्षर एवं ग्रामीणों के पूछने पर 30–40 वर्षो से बादी का ही कब्जा माना एवं न्यायिक दृष्टान्त व जागीर कानून का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया एवं वकील वादी की एक पक्षीय बहस के तथ्यों पर मनन किया गया, जमाबन्दी सम्वत 2009 से 2012, खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2015 जो प्रदर्श जिसके पुराना खसरा नम्बर 182 व 174 है जिनमें काश्तकार वादी के दादा व पड़दादा रहे हैं। सम्वत् 2015 से 2028 तक बादी के पिता के नाम से दर्ज है। वादी ने दावे को न्यायालय में पेश कर विचाराधीन दावे के दौरान मजदूरी के लिए विदेश जाने पर पावर ऑफ अटोनी अपनी धर्मपत्नी सुमन कंवर को दावे की समस्त कार्यवाही का अधिकार दिया था। इसलिए दावे में पावर ऑफ अटोर्नी प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2009–12 प्रदर्श– 2 खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2015 प्रदर्श– 3 गिरदावरी सम्वत 2016 प्रदर्श –04 गिरदावरी सम्वत 2017 से 2020 प्रदर्श– 05 गिरदावरी संवत 2024 प्रदर्श –06 गिरदावरी सम्वत 2024 से 2028 प्रदर्श–7 एवं मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 01 सुमन कंवर, पीडब्ल्यू 2 किशनलाल एवं पीडब्ल्यू 03 वादी की माता सुप्यार कंवर व पीडब्ल्यू 4 वादी का चाचा महावीर सिंह ने न्यायालय में हाजिर होकर बयान दिये हैं कि इन सभी का अवलोकन किया गया जिनमें सभी गवाहान ने खसरा नम्बर 585 के 73 बीघा कृषि भूमि में से 18 बीघा 5 विश्वा व खसरा नम्बर 572 की 17 बीघा 8 विश्वा संपूर्ण पर वादी का अपनी याददास्त से ही कब्जा काश्त बता रहे हैं। इससे पहले वादी के पिता, दादा व पड़दादा काश्त करते थे। जिसमें गवाह सुमन कंवर का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता स्वर्गीय सबल सिंह ग्राम घंटेल के जागिरदार ये तथा अमाबन्दी संवत 2009 में भोकता नाम से दर्ज है. जिसमें कृषक मेरे दाद ससुर मगन सिंह का नाम है तब से लेकर आज तक वादगत कृषि भूमि हमारे कब्जे काश्त में है जिसको मेरा पति नाहर सिंह बतौर बिना रोक टोक के काश्त करता आ रहा है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 585 तादादी 13 बीघ कृषि भूमि में से 18 बीघा 5 विश्वा कृषि भूमि व खसरा नम्बर 572 तादादी 17 बीघा 8 विश्वा सम्पूर्ण कृषि भूमि पर मेरे पति नाहर सिंह का कब्जा काश्त है। सम्वत 2012 से पहले से ही लगातार साधिकार काश्त करता आ रहा था। वर्तमान में मैं व मेरा पति नाहर सिंह वादगत कृषि भूमि को काश्त करते हैं। जागीर समाप्त होने के समय भी मेरा पति मेरे ससुर के साथ बतौर काश्त करते थे। मैनें व मेरे पति ने इस कृषि भूमि को खाद आदि डालकर [illegible] ले यह भूमि पड़त पड़ी रहती थी हमारी एक पैतृक कृषि भूमि खसरा न [illegible] 95 [illegible] 955 है जो विरासतन नामान्तकरण दर्ज होने पर नाम दर्ज हुई [illegible] या 12 को पक्षकार बनाया है बहनों को पक्षकार जिनके [illegible] से अधिक का भात छुछक आदि से लगाने के कारण अपने ससुराल में रहने के कार[illegible] इनका कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादी के दोनों भाईयों का स्वर्गवास होने जिनमें विजय सिंह का स्वर्गवास होते ही उनकी पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दूसरी शादी करके गांव घण्टेल से चली गई। दूसरे भाई की पत्नी व पुत्र मौजूद है। इसलिए सांवतसिंह के हिस्से की 1/2 हिस्सा वादी के नाम दर्ज होना है। कब्जे काश्त वाली कृषि भूमि जागीर समाप्त होने पर एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर कानूनन इस कृषि भूमि का काश्तकार वादी मेरे पति खातेदार हो चुके हैं। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अभी भी यह कृषिः भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम से खातेदारी गलत दर्ज चली आ रही है जिस राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाकर मेरे पति के नाम खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारी हूँ। पी. डब्ल्यू 2 किशनलाल ने कहा कि मैं वादी के खेत का पड़ौसी हूं में वादी के पास खेत में आता जाता रहता हूँ। वादी अकेला ही इस वादगत खेत को कास्त करता है जिसको मैं अपनी याददास्त से देखता आ रहा हूं। पी.डब्ल्यू 03 सुप्यार कंवर ने कथन किया कि राम्वत 2012 से पहले से ही मेरे ससुर इस वादगत कृषि भूमि को काश्त करते थे उसके बाद मेरा पति सांवत सिंह और आज मेरा पुत्र वादी नाहर सिंह खसरा नम्बर 585 की कृषि भूमि में से केवल मात्र 18 बीघा 5 विश्वा व शेष कृषि भूमि को मेरा पोता, व मेरी पुत्र वधु काश्त करते हैं तथा खसरा नम्बर 572 की 17 बीघा 08 विश्वा कृषि भूमि सम्पूर्ण को मेरा बेटा वादी नाहर सिंह ही काश्त करता है इसलिए वादगत कृषि भूमि मेरे बेटे नाहर सिंह के नाम कर दी जाये

मेरी बेटियों की शादी कर दी गई जो अपने ससुराल में रहती है। मेरे तीन बेटों में से मेरा एक पुत्र वादी नाहर सिंह ही मौजूद है। दो बेटों का स्वर्गवास हो गया है छोटे बेटे की बहू मेरे बेटे के स्वर्गवास के बाद चली गई व दूसरी शादी भी कर ली है। दूसरे के पाते व बहू मौजूद है जिनका कब्जे का खेत अलग है। पीडब्ल्यू 4 महावीर सिंह का कथन है कि वादी नाहर सिंह 18 बीघा के लगभग एक खेत काश्त करता है तथा दूसरा खेत भी लगभग इतना ही बढ़ा है। दोनों खेत नाहर सिंह ही काश्त करता है जो लगभग 36–37 बीधा काश्त करता है जो पहले वादी के पिता काश्त करते थे अब बादी नाहर सिंह काश्त करता है। मैं उनका खेत पड़ौसी हूं। वकील वादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2003 पेज 274 का भी ससम्मान अवलोकन किया, जागीर कानून व अन्य कानून के साथ न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन इन सभी में यह साबित हुआ कि दिनांक 15.10.1955 को कृषि भूमि पर काबिज व्यक्ति को स्वतः खातेदारी मिल जाती है।

उपरोक्त दस्तावेज एवं बयानात के अवलोकन एवं मननके बाद यह परलक्षित होता है कि ग्राम घण्टेल के पुराने खसरा नम्बर 182 मीन जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 585 तादादी 73 बीघा एवं खसरा नम्बर 174 मीन जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 572 तादादी 17 बीघा 8 बिश्वा की खातेदारी पूर्व में प्रवितादी संख्या 1 ता 3 के पिता ठाकुर सबल सिंह के नाम से भोकता अंकित थी। परन्तु सम्वत 2009 की जमाबन्दी में काश्तकार वादी के दादा मगन सिंह थे। सम्वत् 2012 की जमाबन्दी में भी वादी के दादा गगन सिंह का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज था। खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में स्वर्गीय मगन सिंह ही काश्तकार थे। गिरदावरी सम्वत 2013 से [illegible] वादी के पिता स्वर्गीय सांवत सिंह काश्तकार के रूप में बतौर [illegible] में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से खातेदारी अंकित [illegible] काश्त वादी का प्रतीत होता है क्यों कि प्रस्तुत दावा में स्वर्गीय सबल सिंह के वारि[illegible] प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को पक्षकार बनाया गया है ताकि अपना पक्ष रख सके परन्तु बावजूद तामील के प्रतिवादी संख्या 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

3 ना तो दावा में उपस्थित आये हैं ना ही किसी ने उनकी ओर से आपति की है। इसलिए उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही भी हो चुकी है एवं नाही उन्होने पेश दावा के विरुद्ध अपना कोई जवाब या दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है। वादगत खेत पड़ौसियों ने भी पुराने समय अर्थात् संवत 2012 से पहले से ही वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त वादी का ही बताया है। इन सब को देखते हुए न्यायालय ने अपनी संतुष्टि के लिए विचाराधीन दावा के दौरान तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई। मौका रिपोर्ट के आधार पर गांव के मौजीज व्यक्तियों व खेत पड़ोसियों के बताये अनुसार वादी का कब्जा 30–40 वर्षों से बताया जिससे वादगत कृषि भूमि पर वादी का पुराने समय से कब्जा कास्त प्रमाणित प्रतीत होता है। पैतृक कृषि भूमि खसरा जम्बर 958/955 का विभाजन हेतु प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 12 को पक्षकार बनाया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ ना इस संबंध में वादी ने अपने दावे में अनुतोष की मांग नहीं की इसलिए विभाजन का अनुतोष स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 585 की कृषि भूमि 18 बीघा 5 बिश्वा व खसरा नम्बर 572 की कृषि भूमि 17 बीघा 8 विश्वा वादी का बतौर कब्जा काश्त साबित होने। साधिकार बिना बाधा के काश्त करने पर वादगत कृषि भूमि पर वादी दावा उचित प्रतीत होता है। नियमानुसार वादी को पुराने समय से कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी प्रदान की जा सकती है जैसा कि वकील वादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2003 पेज 274 में निष्कर्ष दिया गया है कि 15.10.1955 को काबिज व्यक्ति को खातेदारी स्वत मिल जाती है। प्रस्तुत दावा में पेश दस्तावेजात एवम् बयान गवाहान से सम्वत् 2012 में वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त वादी का साबित होता है जिससे नियमानुसार वादी वादगत कृषि भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी है तथा यदि विजयसिंह की वारिस यदि कभी अपना दावा करता है तो वह वादगत कृषि भूमि में से व अन्य पैतृक कृषि भूमि का नियमानुसार अधिकारी होगा।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात बयान गवाहान, तहसीलदार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट न्यायिक दृष्टान्त व जागीरदारी कानून व सुखाधिकार अधिनियम वादी की एक पक्षीय बहस के आधार पर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 585 तादादी 73 बीघा कृषि भूमि में से 18 बीघा 05 विश्वा व खसरा नम्बर 572 तादादी 17 बीघा 8 विश्वा सम्पूर्ण कृषि भूमि वाके रोही गांव घण्टेल तहसील चूरू की भूमि पर वादी का कब्जा काश्त संवत 2012 से पहले का साबित होता है जिससे वादी उक्त वादगत भूमि की खातेदारी अपने नाम से घोषित कराने का अधिकारी है।

निर्णयः– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में साबित होती है। जिससे तनकी संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है [illegible] नम्बर 585 तादादी 73 बीघा कृषि भूमि में से 18 बीघा 5 विश्वः व कृषि भूमि [illegible] नम्बर 572 तादादी 17 बीघा 8 विश्वा कुल 35 बीघा 13 बिश्वा रोही [illegible] में प्रतिवादी सा 01 से 03. के स्थान पर वादी को [illegible] घोषित किया जाता है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल [illegible] रामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तनकी नं. 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 13 पर रहा है जिन्होंने अपने जवाबदावा अनुतोष के खसरों के राजस्व अभिलेख में वादी या वादी के पिता का नाम बतौर खातेदार अंकित नहीं होने का उल्लख किया है परन्तु उक्त तथ्यों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है बल्कि वादी की ओर से सम्वत् 2012 को काबिज काश्तकार के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है। जो कि वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् से साबित होता है। जबकि प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है।

निर्णयः– तनकी नं. 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित नहीं होती है। अतः तनकी नं. 3 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

अन्य अनुतोषः– वादी का दावा खातेदारी घोषणा का है जिसमें वादी अपने कब्जे काश्त व अपने पिता व दादा के समय से यानी सम्वत् 2012 से समय काबिज काश्तकारी के अनुसार खातेदारी की घोषणा करवाना चाहता है। वादगत भूमि किसी बैंक के रहन नहीं है। इस प्रकार न्यायालय दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित मानता है।

<u>निर्णय</u>

तनकी नं. 1 व 2 वादी के पक्ष में व तनकी नं. 3 प्रतिवादी संख्या 13 के खिलाफ निर्णित होने तथा अन्य अनुतोष वादी के पक्ष में निर्णित होने से अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. नम्बर 585 तादादी 73 बीघा कृषि भूमि में से पूर्वी हिस्से का 18 बीघा 5 विश्वा व कृषि भूमि खसरा नम्बर 572 तादादी 17 बीघा 8 विश्वा कुल 35 बीघा 13 बिश्वा रोही गांव घण्टेल तहसील चूरू की भूमि में प्रतिवादी सा 01 से 03. के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Ah/

(बिजेन्द्रसिंह)**RAS**
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमेइब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्तादीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालतउपखण्डअधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नहरसिंह पुत्र स्व. सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू

–वादी–

1. नारायणसिंह पुत्र स्व. सबलसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
2. पृथ्वीसिंह पुत्र स्व. सबलसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू हाल घण्टेल सदन, चीफइन्जिनियरिंग, मोतीडूंगरी, गणेशमन्दिर के पास, जयपुर
3. प्रतापसिंह पुत्र स्व. सबलसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
4. सुप्यार कंवर पत्नी स्व. सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
5. पेपू कंवर पुत्री स्व. सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
6. राजकंवर पुत्री स्व. सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
7. विनोद कंवर पुत्री स्व. सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील व जिला चूरू
8. श्रीदेवी पुत्री स्व. करणीसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
9. आकाशपुत्र स्व. करणीसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
10. पुनमकंवर पुत्री स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
11. सीमाकंवर पत्नी स्व. विजयसिंह जाति राजपूत निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
12. जीनकुराम पुत्र सेवादास जाति स्वामी निवासी गांव घण्टेल तहसील वा जिला चूरू
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

–प्रतिवादीगण–

<u>दावाअन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.</u>

मुकदमानं. 63सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री बजरंगलाल शर्मा एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. नम्बर 585 तादादी 73 बीघा कृषि भूमि में से पूर्वी हिस्से का 18 बीघा 5 विश्वा व कृषि भूमि खसरा नम्बर 572 तादादी 17 बीघा 8 विश्वा कुल 35 बीघा 13 बिश्वा रोही गांव घण्टेल तहसील चूरू की भूमि में प्रतिवादी सा 01 से 03. के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17 माह फरवरी सन् 2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:57 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)**RAS**
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू